रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1289] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2015/आषाढ़ 1, 1937
No. 1289] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2015/ASHADHA 1, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2015

का.आ. 1648(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित उद्योगों/प्रतिष्ठानों की सेवाओं को जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की विभिन्न मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए, नामत :-

(1) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई, हैदराबाद और चेरियापल्ली जिन्हें प्रथम अनुसूची की मद संख्या 11 में शामिल किया गया है;

(2) भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;

(3) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;

(4) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 21 में शामिल किया गया है;

(5) बैंक नोट प्रैस, देवास, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 में शामिल किया गया है;

(6) करैंसी नोट प्रैस, नासिक रोड, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 25 में शामिल किया गया है;

अत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योगों/प्र**तिष्ठानों को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ: माह की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।**

[फा. सं. एस-11017/4/2011-आईआर (पीएल)]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2015

S.O. 1648(E).—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the following industries/establishments under the Ministry of Finance which are covered under different items of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), as under, should be declared as Public Utility Services for the purposes of the said Act:

(1) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai, Hyderabad and Cheriapally which is covered by item No. 11 of the First Schedule;
(2) India Security Press, Nashik, which is covered by item No. 12 of the First Schedule;
(3) Security Printing Press, Hyderabad, which is covered by item No. 12 of the First Schedule;
(4) Security Paper Mill, Hoshangabad, which is covered by item No. 21 of the First Schedule;
(5) Bank Note Press Dewas, which is covered by item No. 22 of the First Schedule;
(6) Currency Note Press, Nashik Road, which is covered by item No. 25 of the First Schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares **with immediate effect the said industries/establishments to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act for a period of six months.**

[F. No. S.11017/ 4 /2011- IR (PL)]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.